न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :– कमलसिंह यादव

प्रकरण सख्याः–64 / 19 निर्णय दिनांकः–23.09.2019

1 जुबेदा पत्नि अयुब सुई पिता सददीक सुई उम्र बालिग जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

वादीया

बनाम

1. आदम पिता सददीक सुई जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2. अब्दूल अजीज पिता सददीक सुई जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3. जेनाब पिता सददीक सुई जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4. अमीना पिता मोहम्मद पति आदम सुई जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5. श्रीमान तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदयजी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88 , 188 व 209 राजस्थानी काश्तकार अधिनियम व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

वादी की ओर से :– अधिवक्ता बालगोविन्द पाटीदार उपस्थित

प्रतिवादीगण की ओर से :– सरकार पेरोकार तहसीलदार सीमलवाडा उपस्थित

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जो एक ही परिवार के सदस्य होकर सददीक सुई के वारिसान है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की बहन मेमुना जो फोत हो गई है व प्रतिवादीया संख्या 4, प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि है। जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

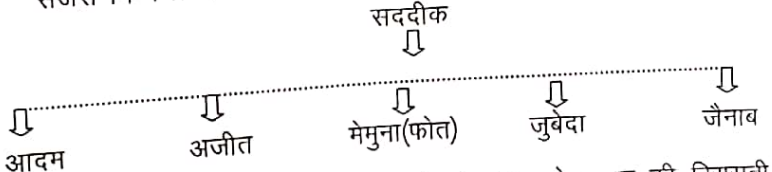

वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी ग्राम पीठ में खाता संख्या 60 खसरा नम्बर 3747 / 1678 खेत किता 1 कुल रकबा 0.17 बीघा होकर स्थित है जो कि वादीया के पिता सददीक सुई के नाम दर्ज थी।

क्रमशः पेज 2 पर

Scanned by CamScanner

सददीक सुई की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी पर सददीक सुई के विधिक वारिसान वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से कब्जा है। दिनांक 15.07.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी पत्नि प्रतिवादी संख्या 4 संयुक्त रूप से मिलकर कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ उक्त वादग्रस्त आराजी पर आए और वादग्रस्त आराजी को बेचने की बात करने लगे। जिस पर वादीया ने उक्त वादग्रस्त आराजी को बेचने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 वादीया को कहने लगे की उक्त आराजी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में कही तुम्हारा नाम दर्ज नहीं है। प्रशनगत आराजी को मैं किसे भी विक्रय करु तो तुम्हे कोई उजर झंगडा करने हक व अधिकार नहीं है। जिस पर वादीया ने उक्त वादग्रस्त आराजी की हाल जमाबंदी संवत 2071–2074 नकल निकलवाई तो पता चला की नकल में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर वादीया ने पीठ पटवार हल्का से खोले नामान्तरण सख्या 1553 की नकल निकलवाई तो पता चला की वादीया के पिता सददीक सुई की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारिसानों के नाम नियमानुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। उक्त वादग्रस्त भुमि का मुल आराजी संख्या 1678 होकर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जिस पर दिनांक 05.04.2007 को सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमति से वंटवारानामा पेश कर कुल रकबा 3.07 बीघा भुमि का सर्वसहमति से बंटवारा स्कीम की सूची तैयार कर सीमलवाडा तहसील कार्यालय में वंटवारा अनुसार दर्ज करने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिस पर वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम वंटवारा स्कीम में दर्ज थे। जिससे आराजी नम्बर 1678 के वंटवारे के वाद नये खसरा नम्बर बने वादग्रस्त आराजी में नियमानुसार सददीक के विधिक वारिसानों वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम नियमानुसार दर्ज होने थे। लेकिन बावजुद वंटवारा नामान्तरणकरण की नकल संख्या 1553, दिनांक 26.06.2007 में प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत कर केवल सददीक के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम नामान्तरण दर्ज करवा दिया। वादीया द्वारा पटवारी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त कराने की बात की तो दुरूस्त करने से मना कर दिया है। जिस पर वाद कारण लगातार उत्पन्न हो रहा। जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पावन्द किये जाना आवश्यक हैकि वादीया को ग्राम पीठ में खाता संख्या 60 खसरा नम्बर 3747/1678 खेत किता 1 कुल रकबा 0.17 बीघा में वादीया को खातेदारी विरासती आराजी मे काश्त करने मे रुकावट पैदा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट करावे। वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा किसी अन्य को विक्रय, बक्षीस, रहन नहीं करे। व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ऐसा कोई दस्तावेज सम्पादित नहीं करे जिससे वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा हस्तांतरित माना जावे।

क्रमशः पेज 3 पर

Scanned by CamScanner

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है जिसके बाद वाद दर्ज रजिस्टर कर वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। उसी दौरान दिनांक को वादीया एवं प्रतिवादीगण ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत कर मुल आराजी संख्या 1678 रकबा 3.07 बीघा के आपसी बंटवारा करने के पश्चात खोले गए नामातंरण संख्या 1553 में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से में आयी आराजी संख्या 3747/1678 रकबा 0.17 बीघा में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की जगह आदम पिता मोहम्मद, अमीना पिता मोहम्मद गलत नाम दर्ज कर दिया था। ऐसे में आदम पिता मोहम्मद व अमीना पिता मोहम्मद का नाम हटाया जाकर उनकी जगह वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व नामान्ताण संख्या 1553 को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। उसके पश्चात वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बयान लेखबद्ध किए गए जिसमें गवाहों ने भी राजीनामा के अनुसार वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया उक्त वादग्रस्त भुमि का मूल आराजी संख्या 1678 होकर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त कर रहे थे। जिस पर दिनांक 05.04.2007 को सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमति से बंटवारानामा पेश कर कुल रकबा 3.07 बीघा भुमि का सर्वसहमति से बंटवारा स्कीम की सूची तैयार कर सीमलवाडा तहसील कार्यालय में बंटवारा अनुसार दर्ज करने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिस पर वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम बंटवारा स्कीम में दर्ज थे। जिससे आराजी नम्बर 1678 के बंटवारे के बाद नये खसरा नम्बर बने वादग्रस्त आराजी कों नियमानुसार सददीक के विधिक वारिसानों वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज होने थे लेकिन बंटवारा पश्चात खोले गए नामान्तरणकरण संख्या 1553, दिनांक 26.06.2007 में आदम पिता मोहम्मद व अमीना पिता मोहम्मद के नाम नामान्तारण दर्ज कर दिया। ऐसे में आदम पिता मोहम्मद व अमीना पिता मोहम्मद के नाम को हटाया जाकर उसकी जगह वादीया व प्रतिवादी सख्या एक से तीन के नाम दर्ज किये जावे तथा नामान्तरण संख्या 1553 को वादीया एंव प्रतिवादी सख्या एक से तीन के विरुद शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा प्रकरण मे दोनो पक्षकारो का आपसी राजीनामा भी हो चुका है ऐसे वाद स्वीकार कर डिकी किया जावे ।

हमने विद्वान अभिभाषक व पैरोकार सरकार तहसिलदार सीमलवाडा की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें आपसी सहमति से भी खातेदारो ने बंटवारा का आवेदन मय सहमति पत्र प्रस्तुत कर मूल आराजी संख्या 1678 रकबा 3.07 बीघा का बंटवारा किया था जिसमे आराजी सख्या 1678 के 1/7 मे आदम पिता सदीक वगैरह दर्ज था लेकिन आपसी बंटवारा करने के पश्चात खोले गए नामातंरण संख्या 1553 में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से में आयी आराजी संख्या 3747/1678 रकबा 0.17 बीघा में वादीया व प्रतिवादी

क्रमशः पेज 4 पर

Scanned by CamScanner

संख्या 1 से 3 की जगह आदम पिता मोहम्मद, अमीना पिता मोहम्मद गलत नाम दर्ज कर दिया है जिसे पैरोकार सरकार तहसिलदार सीमलवाडा ने भी स्वीकारा है प्रतिवादी सख्या 5 तहसिलदार सीमलवाडा ने भी सहमति बंटवारा की पालना मे दर्ज किये गये नामान्तरण सख्या 1553 मे हुई उक्त त्रुटी को स्वीकार कर निवेदन किया कि वादी प्रतिवादीयो के बिच हुए राजीनामे को स्वीकारे तथा उक्त त्रुटी सुधार हेतु आदेशित करे । ऐसे में आदम पिता मोहम्मद व अमीना पिता मोहम्मद का नाम हटाया जाकर उनकी जगह वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 नाम दर्ज कर ग्राम पीठ की आराजी संख्या 3747/1678 रकबा 0.17 बीघा वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझता हूं। तथा नामान्तरण सख्या 1553 को वादीया व प्रतिवादी सख्या एक से तीन के विरुद शुन्य प्रव प्रभावहिन धोषित किया जाना न्यायोचित है ।

आदेश

प्रकरण में दोनों पक्षकारगणों का आपसी राजीनामा होने व पैरोकार सरकार के सहमत होने से वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा पीठ के आराजी संख्या 3747/1678 रकबा 0.17 बीघा में दर्ज आदम पिता मोहम्मद, अमीना पिता मोहम्मद की जगह वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज करने व हाल जमाबंदी में दर्ज नाम आदम पिता मोहम्मद, अमीना पिता मोहम्मद के नाम हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कर वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

कमलसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाडा मु० धम्बोला जिला – डूंगरपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कमलसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाडा मु० धम्बोला जिला – डूंगरपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी कमलसिंह यादव सीमलवाडा

जुबेदा बनाम श्री आदम गवैरह

वाद बाबतः– स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 व 209 राज.टी. एक्ट व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बरः– 64/19

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– श्री कमलसिंह यादव

व हाजरी :– बालगोविन्द पाटीदार मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलाह एकपक्षीय बहस सुनी गई पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि:–

मौजा पीठ के आराजी संख्या 3747/1678 रकबा 0.17 बीघा में दर्ज आदम पिता मोहम्मद, अमीना पिता मोहम्मद की जगह वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज करने व हाल जमाबंदी में दर्ज नाम आदम पिता मोहम्मद, अमीना पिता मोहम्मद के नाम हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दूरूस्त कर वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझता हूं। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 23.09.2019 को जारी की गई।

दस्तखत.
ओहदा उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा मु० धम्बोला
जिला – डूंगरपुर (राज.)

मुदई	रूपया/पैसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा मु० धम्बोला
जिला – डूंगरपुर (राज.)

Scanned by CamScanner